न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमुख कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 87 / 2007

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1– मेहमुदखॉ पुत्र यासीनखॉ उम्र 64 वर्ष 2– मकबूल खॉ पुत्र यासीनखॉ उम्र 68 वर्ष 3– नासीर खॉ पुत्र यासीन खॉ उम्र 55 वर्ष सर्वजातियान मुसलमान निवासीयान सिरोही तहसील सिरोही जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–

1– वादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्रपुरी

2– प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार ना.तहसीलदार सिरोही

राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने

निर्णय दिनांक 4–12–2020

वादीगण ने जरिये वकील यह राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 24–10–2007 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि वादीगण के पिता यासीनखॉ पुत्र अलपूखॉ जाति मुसलमान के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि मौजा ग्राम सिरोही मे खसरा नंबर 544 रकबा 5 बीघा 19 विस्वा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित सम्पति वादीगण के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी एवं वादीगण के पिता उक्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है एवं राजस्व जमाबंदी महकमा बंदोवस्त मे वादी के पिता यासीनखॉ वल्द अल्पुखॉ खातेदार के रूप में दर्ज है एवं उक्त राजस्व रेकर्ड संवत 2000 का राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति जारी शुदा है। सिरोही रियासत कालीन स्टेट को पूर्व मे बोम्बे स्टेट मे सम्मिलत थी एवं बोम्बे स्टेट से सिरोही स्टेट अलग होने के पश्चात वादीगण के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था लेकिन तत्पश्चात राजस्व अधिकारियों एवं वक्त सेटलमेण्ट के समय राजस्व अधिकारियों द्वारा गलती से उक्त कृषि भूमि सरकारी बिलानाम दर्ज कर दी जबकि उक्त भूमि पर वादीगण के पिता काबिज काश्त थे एवं खेती करते आ रहे थे। वर्णित कृषि भूमि पर 6 विस्वा कृषि भूमि पर सिरोही रियासतकालीन समय के पूर्व मे वादी के पिता का मकान बना हुआ था जो राजस्व रेकर्ड मे स्पष्टतया अंकित है एवं शेष भूमि पर कृषि कार्य करते थे जो वादीगण के पिता की भूमि होने से एक मात्र स्वामी वादीगण के पिता थे। वक्त सेटलमेण्ट के समय राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत से उक्त भूमि जो वादीगण के पिता के खातेदारी की थी जिस पर मकान बना हुआ था जिस पर परिवार सहित निवास कर रहे थे लेकिन सेटलमेण्ट के समय बिना किसी कानूनी प्रकिया के एवं मर्जी माफिक खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के बावजूद उसे गलत रूप से बिलानाम दर्ज कर दिया जबकि कब्जा काश्त यथावत था। वादीगण के पिता यासीनखॉ की मृत्यु होने के पश्चात उनके वारिसान उनके पुत्र होने से उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है एवं जर्जर अवस्था मे मकान भी बना हुआ है एवं वादीगण मौके पर काबिज है। वादीगण के पिता की मृत्यु होने के पश्चात वादीगण को उक्त [illegible] होने पर एवं धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही होने पर ज्ञात हुआ [illegible] भूमि सरकारी बिलानाम दर्ज है। वादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से कई [illegible] राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी दर्ज करने बाबत बावजूद निवेदन के राजस्व रेकर्ड मे सं[illegible] नही किया गया है जबकि उक्त कृषि पर वादीगण के पिता के नाम से खातेदारी की कृषि भूमि थी एवं उनकी मृत्यु पश्चात [illegible] उक्त भूमि पर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

वादीगण का वाद कारण इसलिये पैदा हुआ कि वादीगण के पिता की वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि है लेकिन वक्त सेटलमेण्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज नही कर बिलानाम दर्ज कर ली गई एव तब से उक्त भूमि बिलानाम चली आ रही है जबकि उक्त भूमि वादीगण के पिता की खातेदारी की एवं उनकी मृत्यु पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं वादीगण खातेदार कृषक है एवं अपने पिता के जरिये अपने नितर के जरिये 65 वर्षो से काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व अधिकारियों की भूल से बिलानाम दर्ज होने पर बावजूद निवेदन के उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में संशोधन नही करने से वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि उक्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करे एवं अपने नाम से राजस्व रेकर्ड मे संशोधन करावें। प्रतिवादीगण को यह अधिकार नही है कि राजस्व रेकर्ड मे राजस्व अधिकारियो की गलती के कारण बिलानाम दर्ज हुई भूमि से बेदखल करें बल्कि अभी हाल ही मे पटवारी द्वारा वादीगण के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर बेदखल करने की धमकी दी। जबकि उक्त कृषि भूमि वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि एवं प्रतिवादी ने वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी देने का अधिकार नही है। इस कारण वादीगण प्रतिवादी के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने कि वादी के कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी या रूकावट नही करें। अन्त मे वादीगण के वाद मे यह निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाकर निम्न प्रकार से डिकी सादिर करना फरमावें :–

1– वादग्रस्त कृषि भूमि के खसरा नंबर 544 रकबा 5 बीघा 19 विस्वा के खातेदारी हक अधिकार की घोषणा की डिकी

2–वादग्रस्त कृषि भूमि मे आवश्यक संशोधन किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम खातेदारी दर्जकराये जाने बाबत डिकी

3– यह कि प्रतिवादी व उनके अधिनस्थ प्रतिनिधि के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने की डिकी वर्णित कृषि भूमि मे दखलंदाजी या रूकावट नही करने की डिकी।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 वर्णित संलग्न मौजा सिरोही I की जमाबंदी संवत 2050–2053 खाता नंबर 01 राज.सरकार खसरा नंबर 544/1 रकबा 5–02 बीघा, खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012, जमाबंदी महकमा बंदोवस्त का अवलोकन कर उस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय वादपत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दिनांक 24–10–2007 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जवाबदावा पेश करने हेतु सम्मन जारी किया।

इस न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 1–12–2007 को प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही का सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते जवाबदावा हेतु दिनांक 5–1–2008 को न्यायालय मे रखी गई। विचाराधीन प्रकरण की न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–5–2008 को प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्रांक विधि/2008/109 दिनांक 3–3–2008 के मार्फत तहसीलदार सिरोही के जवाबदावा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया। जवाबदावा की प्रति वकील वादीगण को उपलब्ध करवाई गई।

प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाबदावा के माध्यम से यह निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी खतौनी संवत 2050 से 2053 के नया खाता संख्या 01 मे खसरा नंबर 544/1 रकबा 5–02 बीघा किस्म ब.I 4–16–0 व मकान 0–06 बिलानाम तथा खाता संख्या 615 मे खसरा नंबर 544/2 रकबा 0–17 बीघा किस्म सडक भवन एवं पथ निर्माण विभाग सिरोही के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। वादी के पिता के नाम से खसरा नंबर 544 की भूमि नही है। वाद पद पैरा संख्या 2 व 3 वादी स्वंय सिद्व करें । वाद पद संख्या 4 मे कथन किया कि खसरा नंबर 544/1 मे रकबा 0–6 किस्म मकान दर्ज है परन्तु मौके पर कोई मकान उक्त खसरा नंबर में अब आबाद नही है। पद संख्या 5 वादी स्वंय सिद्ध करें। वाद पद सख्या 6 मे मौके पर वादीगणों का वर्तमान मे कोई कब्जा काश्त नही है।

विचाराधीन प्रकरण की इस [illegible] दिनांक 16–1–2009 को वादीगण के वादपत्र व प्रतिवादी स्टेट तहसीलदार सिरोही के जवा[illegible]धार पर न्यायालय द्वारा निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी [illegible]दार घोषणा [illegible]की प्राप्त करने का अधिकारी है?
———जिम्मे वादीगण

2– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?
———जिम्मे वादीगण

3– अनुतोष

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु न्यायालय मे दिनांक 17–2–2009 को रखी गई। इस न्यायालय मे वकील वादीगण द्वारा वादी मेहमूद खॉ व मकबूल खॉ के शपथ पत्र दिनांक 15–6–2009 को पेश किये गये। उक्त साक्ष्य वादी के शपथ पत्रों पर इस न्यायालय मे दिनांक 30–6–2009 को प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जिरह की जाकर शामिल मिसल किया गया। न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 20–7–2010 को दौराने सुनवाई वकील वादी ने साक्ष्य वादी मे मुनीरखॉ का शपथपत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी के शपथपत्र पर जिरह प्रतिवादी पैरोकार सरकार हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 3–6–2013 को की जाकर दौराने सुनवाई वकील वादी ने आगे साक्ष्य वादी नही कराने हेतु निवेदन करने पर न्यायालय द्वारा साक्ष्य वादी बंद की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी स्टेट हेतु दिनांक 12–4–2013 को रखी गई। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार संबंधित पटवारी हल्का सिरोही I के ब्यान कराने हेतु समय चाहते है। न्यायहित मे समय दिया गया। दिनांक 15–9–2017 को साक्ष्य प्रतिवादी मे श्री गणपतसिंह पटवारी सिरोही I द्वारा दिनांक 21–4–2017 को प्रस्तुत शपथपत्र शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी कराने हेतु लगभग दो ढाई साल से साक्ष्य प्रतिवादी नही करवाई जा रही है। इस कारण न्यायहित मे साक्ष्य प्रतिवादी स्टेट की कराने हेतु पैरोकार सरकार को सर्वथा अंतिम अवसर देते हुये वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रकरण की पत्रावली का दिनांक 2–11–2020 को न्यायालय मे रखा गया ।

दिनांक 2–11–2020 को न्यायालय मे दौराने सुनवाई साक्ष्य प्रतिवादी मे पटवारी हल्का सिरोही I अनुपस्थित है। पटवारी हल्का सिरोही प्रथम को साक्ष्य प्रतिवादी कराने हेतु न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाये जाने के बावजूद पटवारी हल्का सिरोही I साक्ष्य प्रतिवादी के शपथ पत्र पर जिरह हेतु न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से पटवारी हल्का सिरोही I के शपथपत्र तथा पूर्व तहसीलदार सिरोही श्री वीरभद्रसिंह के शपथपत्र पर जिरह गैरहाजर होने से बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते विचाराधीन राजस्व वाद अ.धा. 88, 188 आर.टी.एक्ट पर वकील वादीगण व पैरोकार सरकार की अंतिम बहस हेतु दिनांक 12–11–2020 को न्यायालय मे रखी गई। जिस पर वकील वादीगण तथा प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार सिरोही ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई। दिनांक 24–11–2020 को वकील वादीगण द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है :–

1– 2020 आरआरटी पेज 24
2– 2020 आरआरटी पेज 37
3– 2015 (2) आरआरटी पेज 1214
4– 2016 (1) आरआरटी पेज 374
5– 2017 (1) आरआरटी पेज 664
6– 2015 (1) आरआरटी पेज 451
7– 2017 (4) डब्लयुएलसी पेज 351
8– 2009 (2) आरआरटी पेज 954
9– 2018 आरआरटी पेज 1030

उक्त नजीरो के नोट :–तहसीलदार की ओर से संलग्न जवाब के पैरा संख्या 6 व 8 के क्रम मे अवलोकन करने का वकील वादीगण ने निवेदन किया है। तथा वकील वादी ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत कर यह दलील दी गई है कि भूप्रबन्ध विभाग के अधिकारी दौराने भूप्रबन्ध किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों मे परिवर्तन करने के लिये अधिकृत नही है।

हमने वकील वादी व प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही की अंतिम बहस का ध्यानपूर्वक गंभीरता से मनन किया। विचाराधीन वाद की मूल पत्रावली के संलग्न वाद पत्र व जवाबदावा व संलग्न वादग्रस्त कृषि आराजी की जमाबंदीयॉ व नक्शा व अन्य सभी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी मनन किया। वकील वादीगण द्वारा उक्त उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का भी गहनतापू[illegible] किया। वादीगण का वाद आधारित मुख्य बिन्दु यह है कि राजस्व जमाबंदी महकमा ब[illegible]स्त [illegible]दी के पिता की खातेदारी दर्ज है तथा मात्र राजस्व रेकर्ड मे गलत रूप [illegible] वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव नही पडता है बल्कि वादीग[illegible]दार कृषक है [illegible] वादीगण पिछले 65 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं प्रतिवादी को [illegible] अधिकार था व वादीगण मे समाहित हो चुके है एवं प्रतिकूल कब्जे के सिद्वान्त के आधार पर वादीगण के [illegible]दारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। मात्र गलत राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज होने से वादीगण की कृषि भूमि मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

वादीगण ने बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार वादी ने वाद के सर्मथन में महकमा बंदोवस्त की जमाबंदी नकल व साक्ष्य वादी मे मेहमूद खां व मकबूल खॉ व मुनीर खॉ के शपथ पत्र पेश किये है। इसके अलावा वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किये है जिससे यह जाहिर होता हो कि वादीगण का वादग्रस्त कृषि आराजी पर वादीगण के पिता के समय से पिछले 65 वर्षो से वादग्रस्त कृषि आराजी पर निरन्तर शान्तिपूर्वक बिना किसी रूकावट के काबिज होकर काश्त करता आ रहा हो। वादी को अपना पक्ष स्वंय समुचित साक्ष्य एवं दस्तावेजात से सिद्व करना होता है। स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही ने दिनांक 13–7–2015 को लोक अदालत केम्प सिरोही मे जवाबदावा नक्शा किश्तवार प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 544 रकबा 5.19 बीघा जिसका नया खसरा नंबर 423 है जो रेकर्ड अनुसार राजकीय बिलानाम आराजी है। तथा वाद पद संख्या 3 का कथन वर्तमान कानुनी परिपेक्ष्य मे नही है क्योंकि उक्त रेकर्ड राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व का है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है तथा वर्तमान मे मौके अनुसार पडत है। अतः विवादित भूमि नगरीय सीमा मे स्थित होने तथा आंशिक भाग सडक सीमा मे स्थित होने से वाद काबिल खारीज होना तहसीलदार सिरोही ने बताया है। उपरोक्तानुसार वाद का निम्नानुसार तनकीवार विवेचन कर निर्णय किया जाता है।

1– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर खातेदार घोषणा की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है?

––––जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा महकमा बंदोबस्त संवत 2000 की जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसके अनुसार खाता संख्या 358 में खसरा नंबर 544 रकबा 5–19 बीघा व कॉलम 3 में नाम खातेदार या कब्जेदार में आसीन खॉ वल्द अलफू खॉ मुसलमान सा. देह दर्ज है। स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 13.7.2015 लोक अदालत केम्प सिरोही अवलोकनीय है जिसमें वर्णित अनुसार वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 544 रकबा 5–19 बीघा जिसका नया खसरा नंबर 423 है जो रेकर्ड अनुसार राजकीय बिलानाम आराजी है। जवाब के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेख अनुसार वाद पत्र का क्रम संख्या 3 वर्तमान कानूनी परिप्रेक्ष्य में नहीं है क्योंकि उक्त रेकर्ड राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व का है। बिन्दु 5 में अंकित किया गया है कि वर्णित भूमि नगरीय सीमा में स्थित होने तथा सडक सीमा के अन्तर्गत स्थित होने से अस्वीकार्य है। भूमि आवंटन नियमन हेतु वर्जित होने से अस्वीकार्य है। जवाब के पद संख्या 7 में अंकित अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार वर्णित भूमि राजकीय भूमि है तथा वर्तमान में मौके पर पडत है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अंत में यह भी अंकित किया गया है कि विवादित भूमि नगरीय सीमा में स्थित है तथा सडक सीमा में स्थित होने से वाद काबिल खारिज है। स्टेट की ओर से श्री गणपतसिंह आढा पटवारी पटवार मण्डल सिरोही प्रथम व श्री वीरभद्रसिंह चौहान तहसीलदार सिरोही द्वारा दिनांक 21.4.2017 को साक्ष्य प्रतिवादी के दौरान शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनमें भी तहसीलदार सिरोही की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। यह भी अंकित किया गया है कि वर्णित भूमि खसरा नंबर 423 सिरोही जालोर राज्य राजमार्ग की सीमा में आता है एवं उक्त भूमि पडत है एवं वर्तमान में इस पर किसी का कब्जा नहीं है। जवाब सरकार एवं शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि संलग्न प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070–73 गांव सिरोही पटवार हल्का सिरोहीा तहसील व जिला सिरोही व नक्शा ट्रेस के अवलोकन से होती है। जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 1 में खसरा नंबर 423 रकबा 0.83 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है जो बिलानाम खाते में दर्ज है। नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड वर्तमान के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वर्णित भूमि जिसका नवीन खसरा नंबर 423 है वह खसरा नंबर 496, 424 से लगता हुआ है। खसरा नंबर 496 व 424 वर्तमान जमाबंदी अनुसार गै.मु.सडक दर्ज भवन पथ निर्माण विभाग सिरोही के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादी की ओर से वादीगण स्वयं द्वारा एवं मुनीर खॉ द्वारा साक्ष्य वादी मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें कथन किया है कि वादीगण के पिता की मृत्यु होने [illegible] उक्त कृषि भूमि पर काबिज है एवं मौके पर बरसाली फसल की बुवाई करते है। जि[illegible] किया कि यह कहना गलत है कि उक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि मेरे [illegible] मेरे पास दादाजी के नाम का वर्तमान में कोई दस्तावेज नहीं है। साक्ष[illegible] मुनीर खॉ ने [illegible] में कथन किया कि विवादित कृषि भूमि पर वादीगण का मकान बना हुआ थ[illegible]जर होने से मकान गिर गया।

उक्तानुसार संपूर्ण [illegible] यह निर्विवाद है कि वादीगण के पिता का नाम महकमा बंदोबस्त जमाबंदी अनुसार पुराने खसरा नंबर 544 में बतौर खातेदार या कब्जेदार के दर्ज था लेकिन इसके पश्चात लगभग 65 वर्ष वाद वादी द्वारा उक्त भूमि बाबत वाद प्रस्तुत किया है जिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

बाबत कोई समुचित कारण का उल्लेख भी नहीं किया गया है कि इतने वर्षो बाद वाद प्रस्तुत करने का क्या कारण रहा है। वादीगण द्वारा इसके पश्चात अपनी खातेदारी के विलोपित होने बाबत कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के समय उनका खातेदारी थी अथवा नहीं। वादीगण द्वारा एकमात्र महकमा बंदोबस्त की जमाबंदी प्रस्तुत की गई है जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व की है। वादी द्वारा लगातार कब्जा काश्त का कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो कि वादी तब से आज तक लगातार उक्त भूमि का कब्जा काश्त धारण करता हो। स्टेट के जवाब से भी यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान में पडत है एवं साक्ष्य में भी उल्लेख किया है कि उक्त भूमि पडत है एवं किसी का कब्जा नहीं है। राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 में आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमियों वर्णित की गई है जिसके बिन्दु V(च) में वर्णित अनुसार " किसी राजपथ अथवा पक्की या कंक्रीट सडक के मध्य से दोनो ओर पचास गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियॉ" उक्त भूमि आवंटन प्रतिबंधित है। बिन्दु V(घ) में वर्णित अनुसार किसी भी अन्य नगरपालिका की सीमा में भूमि आवंटन प्रतिबंधित है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित अनुसार "भूमियों जिनमे खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होंगे–के बिन्दु सं. (6) के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक प्रयोजन या लोक उपयोगिता के कार्य के लिये अर्जित या धारित भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होगे। प्रश्नगत भूमि सिरोही–कालन्द्री–रामसीन स्टेट हाईवे की सडक सीमा की भूमि होने से सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से प्रतिबंधित किस्म की भूमि में वर्णित है। साथ ही नगरपरिषद सिरोही की सीमा में वर्णित भूमि होने से भी खातेदारी अधिकार दिया जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार समस्त विवेचन उपरांत तनकी संख्या वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

2– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?

–––जिम्मे वादीगण

उक्त तनकी तनकी संख्या 1 के निर्णय अनुसार वादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जाती है चूँकि वादीगण प्रश्नगत भूमि की खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी नहीं है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन मनन एवं तनकीवार निर्णय अनुसार वादीगण का वाद अ.धा. 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 विरूद्व प्रतिवादी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही वास्ते प्राप्त करने खातेदार कृषक की घोषणा तथा प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का खारीज योग्य होने से खारीज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा भी जारी हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हॅसमुख कुमार)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 4 –12–2020 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:32 IST
Reason: SelfAttested